तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1939/2006/उदयपुर** **भंवरलाल(मृतक)जरिए वारिसान लीलाबाई व अन्य** **बनाम मांगीलाल पुत्र गोटू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–

श्री महेश भट्ट, अभिभाषक प्रार्थी

श्री पन्नालाल भारू, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 2–8–2023

हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उप जिला कलेक्टर, गिर्वा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–3–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत आदेश 18 नियम 17 सीपीसी को खारिज किया गया है ।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अस्पष्ट, कारण रहित एवं न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थी ने एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188, का अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया । दौराने वाद प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र आदेश 18 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17–3–2006 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी द्वारा यह निवेदन किया कि दिनांक 19–12–2005 को वादी बतौर साक्षी पीडब्ल्यू–1 उपस्थित हुआ और मुख्य परीक्षा का शपथ–पत्र टाईपशुदा पेश किया जिसके पैरा नंबर 8 में वर्णन है कि दावे के समर्थन में हमने दस्तावेज प्रदर्श.पेश किए जिसके आधार पर वादी का दावा डिक्री होने योग्य है । इस शपथ–पत्र की प्रति प्रतिवादी को दी गई परन्तु बयान अधूरे होने से पेशिया बदली। मुख्य परीक्षा में दस्तावेज का उल्लेख वक्त मौखिक साक्ष्य करना था, जो

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1939/2006/उदयपुर** **भंवरलाल(मृतक)जरिए वारिसान लीलाबाई व अन्य** **बनाम मांगीलाल पुत्र गोटू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रह गया अतः भंवरलाल को पुनः तलब कराकर दस्तावेज जो रेकार्ड पर है। उनके बारे में प्रश्न पूछा जाना आवश्यक है क्योंकि वाद के आधार पर दस्तावेजात् पत्रावली पर मौजूद है। अतः गवाह पीडब्ल्यू–1 भवंरलाल को पुनः बुलाया जाकर मुख्य परीक्षा के पैरा संख्या 8 में वर्णित बिन्दुओं पर माननीय न्यायालय प्रश्न पूछने का आदेश प्रदान करावें। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर त्रुटि की है। क्योंकि प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य हेतु लिखित शपथ–पत्र के पैरा संख्या 8 में दस्तावेज को प्रदर्शित कर प्रदर्श नम्बर लिखने की जगह पैरा 8 में खाली छोड रखी थी। जो दोनों पक्षों की उपस्थिति में न्यायालय की आज्ञा से ही लिखी जाती है, किन्तु सहवन से मुख्य परीक्षा अधूरी रही का अंकन नहीं होकर जिरह का आदेश आदेशिका पर पारित होकर तीन पेशीयों बाद गवाह के आने पर गवाह से जिरह शुरू हो गई और मुख्य परीक्षा की कलम नम्बर 8 में दस्तावेज के आगे का भाग खाली था । अतः उक्त त्रुटि सद्भाविक त्रुटि है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः निगरानी स्वीकार कर अधूरी मुख्य परीक्षा गवाह पीडब्ल्यू– 1 के शपथ–पत्र के पैरा 8 में वर्णित दस्तावेज जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिनका उल्लेख निगरानी के पैरा 1 में वर्णित है। उन्हें प्रदर्शित करने का आदेश दिया जावे। 5. अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। उनका कथन है कि भंवरलाल की जिरह वादी स्वयं एवं वादी के अधिवक्ता की उपस्थिति में हुई है। वादी पक्ष जानबूझकर कोई भी दस्तावेज साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रार्थना–पत्र में जो कारण बताए है वे आदेश 18 नियम 17 सीपीसी की परिधि में नहीं आते हैं। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत तरीके से प्रार्थना–पत्र खारिज किया, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः निगरानी खारिज की जावे। 6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। 7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लम्बित वाद में एक प्रार्थना–पत्र आदेश 18 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत किया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के जबाव का भी अवलोकन किया जिसमें कथन किया कि भंवरलाल की जिरह वादी स्वयं एवं वादी के अधिवक्ता की उपस्थिति में हुई है। वादी पक्ष जानबूझकर कोई भी दस्तावेज साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किये है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1939/2006/उदयपुर** **भंवरलाल(मृतक)जरिए वारिसान लीलाबाई व अन्य** **बनाम मांगीलाल पुत्र गोटू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दस्तोवजों का अवलोकन कर उप जिला कलेक्टर, गिर्वा द्वारा आदेश दिनांक 17–3–2006 द्वारा प्रार्थना–पत्र यह कह कर खारिज किया कि प्रकरण काफी पुराना है। वादी की साक्ष्य बंद की जा चुकी है। आदेशिकाओं के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ है जिससे यह साबित होता हो कि न्यायालय ने कोई त्रुटि कारित की हो। इस संबंध में आर.बी.जे. 2004 पृष्ठ 59 पर यह मत प्रतिपादित किया है कि–

Order 18 Rule 17 -When opportunity was provided to the non applicant for cross examination of witness of the applicant same was not availed and examination of witnesses was closed by court, Court cannot recall the witnesses of the applicant.

उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है एवं प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में उठाये गए सभी बिन्दुओं का निस्तारण कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । निगरानी का क्षेत्र सीमित होता है। हस्तगत निगरानी धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जो इस प्रकार है–

230- Power of the Board to call for cases- The Board may call for the record of any cases decided by any subordinate revenue court in which no appeal lies either to the Board or to a civil court under section 239 and if such court appears-

(a) to have exercised jurisdictions not vested in it by law:or

(b) to have failed to exercise jurisdictions so vested :or

(c) to have acted in the exercise of its jurisdictions illegally or with material irregularity.

Board may pass such orders in the cases as it thinks fit.

उक्त धारा में यह प्रावधित किया है कि जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अधिकारिता संबंधी या प्रक्रिया संबंधी गलती की जाती है तो पुनरीक्षण किया जा सकता है। जब उपलब्ध सभी उपचार समाप्त हो जावे, तभी पुनरीक्षण किया जा सकता है। इसमें केवल यही देखना होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक अधिकारिता के बाहर जाकर कार्य किया है या प्रक्रिया के पालन में गलतियॉ की है। उक्त प्रावधानों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हमें कोई तथ्यात्मक या क्षेत्राधिकारिता संबंधी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1939/2006/उदयपुर** **भंवरलाल(मृतक)जरिए वारिसान लीलाबाई व अन्य** **बनाम मांगीलाल पुत्र गोटू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानी निरस्त योग्य है । 9. उक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है । चूंकि प्रकरण काफी पुराना है, इसलिए उप जिला कलेक्टर, वल्लभनगर को निर्देश दिए जाते हैं कि वे प्रकरण का निस्तारण दो माह में किया जाना सुनिश्चित करावें । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जावे । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	